E-Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0-03/भू0अ0नि0 (5) अपील-17/2023....8519/भू0अ0नि0 दि0 17/10/2023

आदेश

"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0-4700 दिनांक-22.12.2022 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री सोहन कुमार, (Emp. ID No.- AEN00413), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, बांका द्वारा प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी श्री सोहन कुमार के अपील की सुनवाई हेतु दिनांक-04.08.2023 को 04:00 बजे अपराह्न निर्धारित की गई, जिसकी सूचना उन्हें ई-मेल के द्वारा प्रेषित की गयी है। निर्धारित तिथि एवं समय पर वाद की सुनवाई की गयी।

उभयपक्ष उपस्थित। अपीलार्थी अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित।

अपील अभ्यावेदन पर निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की ओर से मंतव्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील अभ्यावेदन पर निदेशालय द्वारा दायर मंतव्य व अन्य अभिलेखों, साक्ष्यों के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा नियोजन के समय समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का अंक पत्र/प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु निदेशालय पत्रांक-4544 दिनांक-23.12.2021 द्वारा C.M.J University, Meghalaya को भेजा गया है।

उक्त सत्यापन संबंधी प्रेषित पत्र के अनुपालन में निबंधक C.M.J University, Meghalaya के पत्रांक-CMJU/RO/VERI./2022-05/50/434 दिनांक-24.05.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि "The following students of Diploma in Civil Engineering send by you are not issued by the University. Hence these marksheets are Fake." इस प्रकार पाया गया है कि श्री सोहन कुमार जिनका रजिस्ट्रेशन सं0 9557910100270 है, फर्जी है।

उक्त सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1575 दिनांक-30.06.2022 द्वारा अपीलार्थी से फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने के विरूद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपना स्पष्टीकरण दाखिल किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि जैसे ही निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में मुझे यह ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय द्वारा मेरे नियोजन में प्रस्तुत प्रमाण पत्र की पुष्टि नहीं हुई है, मैनें सीधे विश्वविद्यालय से ई-मेल के माध्यम से संबंधित जानकारी मांगी, जिसमें संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मेरे प्रमाण-पत्र की पुष्टि कर दी गयी है तथा पुनः जाँच कराने हेतु अनुरोध किया गया।

फर्जी प्रमाण-पत्र पर नियोजन प्राप्त करने के संबंध में कोई विशिष्ट तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा इनका संविदा नियोजन समाप्त की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में C.M.J University, Meghalaya के पत्रांक-CMJU/RO/VERI./2022-06/42/495 दिनांक- 25.06.2022 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रतिवेदिंत किया गया कि पूर्व निर्गत पत्र में इनका नाम फर्जी सूची में गलत टंकित हो गये है तथा इन्हें विश्वविद्यालय का वास्तविक छात्र मानने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने SLA (C) No 28831/2016 में दिनांक- 21.10.2016 को पारित आदेश C.M.J University के पक्ष में है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील अभ्यावेदन के Annexure-4 के कंडिका-4 वर्णित WP(C) No.-177/2014 में दिनांक 16.07.2015 के आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मेघालय ने शिक्षा विभाग, मेघालय के C.M.J University के Dissolution आदेश दिनांक-31.03.2014 को Set aside कर दिया है।

अपील अभ्यावेदन एवं निदेशालय द्वारा प्रस्तुत मंतव्य एवं संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निदेशालय स्तर पर जिस पत्र द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई, उसमें विश्वविद्यालय द्वारा आरोपित के प्रमाण–पत्र को फर्जी बताया जाना तथा बिना किसी प्रतिवेदन के मांग किये मात्र अपीलार्थी के पक्ष में उनके ई–मेल पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने पत्र में हुई गलती मानकर विद्यार्थी एवं उसके प्रमाण पत्र को सही बताना, विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता एवं उसके कार्यकलाप पर संदेह उत्पन्न करता है।

ज्ञातव्य हो कि शिक्षा विभाग, मेघालय ने दिनांक–31.03.2014 के आदेश द्वारा C.M.J University को ही भंग (Dissolution) कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध C.M.J University ने WP(C) No.-177/2014 उच्च न्यायालय, मेघालय में दाखिल किया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, मेघालय द्वारा शिक्षा विभाग के दिनांक–31.03.2014 के आदेश को Set aside/Quashed कर दिया।

मेघालय सरकार ने WP(C) No.-177/2014 में पारित उक्त आदेश के विरूद्ध WA No.-14/2017 माननीय उच्च न्यायालय, मेघालय में दाखिल किया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक–06.05.2021 के द्वारा WP(C) No.-177/2014 दिनांक–16.07.2015 को पारित आदेश को Set aside कर दिया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग के दिनांक–31.03.2014 का C.M.J University का Dissolution का आदेश आज भी प्रभावी है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य को छुपा लिया गया है तथा अर्नगल आरोप लगया है।

निसंदेह आरोपित द्वारा फर्जी प्रमाण–पत्र पर नियोजन प्राप्त किया गया है। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

फलतः श्री सोहन कुमार, (Emp. ID No.- AEN00413), पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, बांका द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–17/2023........8519.....**पटना, दिनांक** :–13/10/2023

प्रतिलिपिः– श्री सोहन कुमार, (Emp. ID No.- AEN00413), (संविदा समाप्त) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, बांका, Email- sohankrtrilok@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

13/10/2023

(विनोद कुमार पंकज)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–17/2023........8519.........**पटना, दिनांक** :–13/10/2023

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, बांका, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बांका को सूचनार्थ प्रेषित।

13/10/2023

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–17 / 2023......8519......**पटना, दिनांक** :–...13/10/2023...

प्रतिलिपिः– संबंधित स्थापना सहायक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/10/2023

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–17 / 2023......8519......**पटना, दिनांक** :–...13/10/2023...

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/10/2023

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–17 / 2023......8519......**पटना, दिनांक** :–...13/10/2023...

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/10/2023

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप